

**राजस्थान सरकार**  
**चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-1) विभाग**

क्रमांक एफ.7(11)/डीएमई/नर्सिंग/2014/3822

दिनांक:- 2/6/2016

**निर्देशानुसार** —

**आदेश**

पूर्व में जारी समस्त दिशा-निर्देशों के अतिक्रमण में राज्य में राजकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग, के लिये दिशा-निर्देश निम्नानुसार है:-

1. प्रस्तावित विद्यार्थियों की वार्षिक फीस का विभाजन।

राज्य के समस्त नर्सिंग कॉलेज जो कि एस0एफ0एस0 के तहत संचालित है। विद्यार्थियों से प्राप्त संपूर्ण वार्षिक फीस विभिन्न उपमदों में विभाजित की जाती है।

बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम का शुल्क प्रतिवर्ष/प्रति छात्र 50,000/-रूपये (ओबीसी एवं सामान्य वर्ग), एमएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष 90,000/- रूपये तथा द्वितीय वर्ष 1,10,000/- रूपये प्रति छात्र रखी गई है, जिसका विभाजन निम्नानुसार है:-

(\*एससी तथा एसटी एवं महिला विद्यार्थियों से वर्णित शुल्क का 40 प्रतिशत लिये जाने का प्रावधान है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ग्रुप-3 के पत्र दिनांक 16.11.2009 के अनुसार)

S.No.	Sub Head	BSc. Nursing	
		Boys (Gen &OBC)	Females, Boys ( ST &SC)
A	Tution Fees (70%)	35,000	14,600
B	Library Fees (10%)	5,000	2,000
C	Sports Fees (10%)	5,000	2,000
D	Union Fees (5%)	2,500	1000
E	StudentWelfare/Devolopment Fund (5%)	2,500	1000
Total	Fees (Rupees/Per Year Per Students)	50,000	20,000

S.No.	Sub Head	MSc. Nursing(1st year)		MSc. Nursing(2 nd year)	
		Boys (Gen &OBC)	Females,Boys ( ST &SC)	Boys (Gen &OBC)	Females,Boys ( ST &SC)
A	Tution Fees (70%)	63000	25200	77000	30800
B	Library Fees (10%)	9000	3600	11000	4400
C	Sports Fees (10%)	9000	3600	11000	4400
D	Union Fees (5%)	4500	1800	5500	2200
E	StudentWelfare/Devolopment Fund (5%)	4500	1800	5500	2200
Total	Fees (Rs./Per Year Per Students)	90000	36000	110000	44000

1. बीएससी नर्सिंग छात्र/छात्रा द्वारा कोर्स पूर्ण होने से पहले छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों को द्युशन फीस लौटाने के संबंध में।

- कोर्स छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों को 1 साल तक जमा अवधि की फीस नहीं लौटाई जायेगी।

2. यात्रा भत्ता एवं पेटी खर्च:- टीचिंग एवं नॉन टीचिंग स्टाफ को राजकीय यात्रा किये जाने पर टीए डीए के भुगतान आर.एस.आर. रूल्स के अनुसार किया जायेगा।
3. गैस्ट फेकल्टी को मानदेय राशि के संबंध में:- छात्रों से प्राप्त ट्युशन फीस का 90 प्रतिशत कोर्स खर्च में ( फेकल्टी को दिया जाने वाला मानदेय ) सम्मिलित है। नर्सिंग पाठ्यक्रमों के अध्ययन हेतु आने वाली गैस्ट फेकल्टी मानदेय की अधिकतम सीमा निम्नानुसार रहेगी:-

Guest Faculty

In House 250/- Per Day/Per Hour

Out Side Faculty 400/- Per Day/Per Hour

चूंकि नर्सिंग के कोर्स एस.एफ.एस. योजना के तहत संचालित किये जा रहे हैं, इसलिये गैस्ट फेकल्टी की मानदेय राशि में वृद्धि करने पर राज्य सरकार पर किसी भी प्रकार का बोझ नहीं पड़ेगा।

4. **Caution Money (अमानत राशि) बांड भरवाने के संबंध में।**  
विद्यार्थियों से प्रवेश के समय Caution Money (अमानत राशि) रुपये 1000/- रखी गई है, जो कि नॉन रिफन्डेबल रहेगी।
5. राज्य सेवा में पदस्थापित एम.एस.सी. उत्तीर्ण नर्स श्रेणी-द्वितीय को टीचिंग कार्य हेतु पदस्थापन तथा अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर टीचिंग फेकल्टी पर लगाना केस टु केस परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित होगा।
6. विभिन्न नर्सिंग कॉलेजों के द्वारा पीडी खाता अथवा बैंक खाता खोले जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।
7. अधिकतम राशि रुपये 2.00 लाख तक व्यय की प्रधानाचार्य, नर्सिंग कॉलेज को स्वीकृति प्रधानाचार्य नर्सिंग कॉलेज के स्तर पर 3 सदस्यों की कमेटी गठित कर कमेटी की अनुशंसा पर अत्यावश्यक कार्य एवं क्रय हेतु प्रतिवर्ष अधिकतम राशि 2 लाख रुपये तक व्यय की अनुमति प्रदान की जाती है।
8. नर्सिंग कोर्स की सीटों का वार्षिक नवीनीकरण:- नर्सिंग कॉलेज की सीटों का वार्षिक नवीनीकरण नियमित रूप से प्रति 3 वर्ष में की जायेगी।  
निदेशालय चिकित्सा शिक्षा में उपनिदेशक, नर्सिंग का पद सृजित कर वरिष्ठतम एवं अनुभवशील प्रधानाचार्य, नर्सिंग कॉलेज को पदस्थापित करने का प्रस्ताव निरस्त किया जाता है।

(आर.के. सोनी)

वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राज0 सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज0 सरकार।
3. निजी सचिव, विशिष्ट सहायक सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज0 सरकार।
4. विशेषाधिकारी, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज0 सरकार।
5. निदेशक (पब्लिक हैल्थ), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 सरकार।
6. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज0 सरकार।
7. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज0 सरकार।
8. अतिरिक्त निदेशक (एके.) चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज0 सरकार।
9. रजिस्ट्रार, राज0 स्वा0 वि0 विश्वविद्यालय, जयपुर।
10. प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/अजमेर/ जोधपुर/बीकानेर/उदयपुर/ कोटा/झालावाड़।
11. प्रधानाचार्य नर्सिंग कॉलेज, जयपुर/अजमेर/ जोधपुर/बीकानेर/उदयपुर/ कोटा।
12. श्री पी.पी. तिवाड़ी, प्रोग्रामर, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज0 सरकार।
13. रक्षित पत्रावली।



अतिरिक्त निदेशक (एके)